विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में छः अध्याय निहित है, अर्थात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका, निगम की शासन-प्रणाली, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व चरण II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव।

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना जनता के कल्याण के दृष्टिगत व्यवसायिक प्रकृति की गतिविधियां संचालित करने के उद्देश्य से की गई थीं तथा यह राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम एवं 25 विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में से तीन सरकारी कंपनियां तथा एक अन्य कंपनी सरकार के नियंत्रणाधीन थीं। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 19 सरकारी कंपनियां, दो सांविधिक निगम तथा अन्य चार सरकार के नियंत्रणाधीन कंपनियां थीं। सरकारी 19 कंपनियों में से दो कंपनियां एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य चार कंपनियों में से एक कंपनी अकार्यशील थीं।

I राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2020 तक राज्य में राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उद्यम थे। राज्य के इन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में दो उत्पादन (हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड व ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड), एक उत्पादन व वितरण (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) दोनों में तथा शेष एक संचरण (ट्रांसमिशन) में संलिप्त थे। ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

(परिच्छेद 1.1)

31 मार्च 2020 तक राज्य के चारों विद्युत क्षेत्र के उद्यमों में किया गया कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹14,212.31 करोड़ था तथा 31 मार्च 2019 की अपेक्षा इसमें ₹1,313.09 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

(परिच्छेद 1.3)

II राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2020 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में किया गया कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹1,616.89 करोड़ था तथा 31 मार्च 2019 की अपेक्षा इसमें ₹140.71 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋण का 50.47 प्रतिशत (₹220.33 करोड़) था 31 मार्च 2019 की अपेक्षा इसमें ₹11.11 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

(परिच्छेद 2.2)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लाभांश का भुगतान

लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से मात्र सात ही लाभांश की घोषणा करने के पात्र थे। यद्यपि राज्य के मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹2.25 करोड़ के लाभांश की घोषणा/भुगतान किया तथा राज्य के शेष लाभ अर्जित करने वाले चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹1.34 करोड़ के लाभांश का भुगतान/प्रावधान नहीं किया।

(परिच्छेद 2.3.1)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नेटवर्थ का क्षरण

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उद्यमों का पूंजीगत निवेश एवं संचित हानियाँ 31 दिसम्बर 2020 तक उनके नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार क्रमशः ₹1,090.67 करोड़ एवं ₹1,726.85 करोड़ था जिसके कारण नेटवर्थ ऋणात्मक ₹636.18 करोड़ में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 2.4.1)

टर्नओवर, परिसंपत्तियां एवं नियोजित पूंजी

2017-18 से 2019-20 के दौरान टर्नओवर में मामूली वृद्धि पाई गई। कुल परिसंपत्तियां ₹3,342.62 करोड़, (2017-18) से बढ़कर ₹3,629.19 करोड़ (2019-20) में परिणत हुई जबकि नियोजित पूंजी में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विगत तीन वर्षों के दौरान हुई हानियों के कारण वर्ष-दर-वर्ष गिरावट पाई गई।

(परिच्छेद 2.5.1)

III नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2020 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में राज्य के 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें से सभी सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन

अन्य कंपनियों के वर्ष 2019-20 के लेखे बकाया थे, सरकार के नियंत्रणाधीन एक अन्य कंपनी (हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड) को छोड़ कर, जो 2000-01 से परिसमापनाधीन थी।

अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 तक 10 सरकारी कंपनियों (हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के दो लेखे) तथा सरकार के नियंत्रणाधीन तीन अन्य कंपनियों के 14 लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया था। 31 दिसम्बर 2020 तक राज्य के 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सांविधिक निगमों सहित) के सन्दर्भ में 62 लेखे अन्तिम रूप देने हेतु लम्बित थे।

(परिच्छेद 3.3.2 व 3.3.3)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

13 कंपनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय विवरणियों में अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्धन संगत वर्षों के लेखाओं में ₹125.52 करोड़ के लाभ/हानि तथा ₹544.38 करोड़ की परिसंपत्तियों/ देयताओं के परिवर्तन के रूप में था।

{परिच्छेद 3.5.1 (i) एवं 3.5.2}

IV निगम की शासन-प्रणाली

स्वतंत्र निदेशक

राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अपेक्षित था। तथापि, 2015-20 के दौरान राज्य के मात्र तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपेक्षित संख्या में निदेशकों को नियुक्त किया तथा राज्य के शेष पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किए।

(परिच्छेद 4.2.1)

लेखापरीक्षा समिति की प्रयोज्यता

राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लेखापरीक्षा समिति का गठन करने के पात्र थे। यद्यपि राज्य के मात्र छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था।

(परिच्छेद 4.5.1)

V नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन एवं नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की रुपरेखा

नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करने हेतु पात्र राज्य के सभी पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने जून 2014 व जुलाई 2018 के मध्य नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समितियों का गठन किया।

राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संस्तुतियों के आधार पर एवं निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन से नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निरुपित की थीं। यद्यपि, एक उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) ने कोई भी नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निरुपित नहीं की थी (अगस्त 2021)।

(परिच्छेद 5.5.1.1 व 5.5.1.3)

निधियों का आवंटन एवं प्रयुक्ति

2014-20 की अवधि के दौरान राज्य के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों हेतु अलग से निधियां आवंटित नहीं की थीं। पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने के निर्धारित मापदंड के प्रति 2014-20 के दौरान राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा ₹262.19 लाख की राशि खर्च की जानी अपेक्षित थीं, तथापि राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹221.12 लाख व्यय किए।

- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व नीति द्वारा अपेक्षित ₹69.37 लाख खर्च नहीं किए।
- 2014-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कारपोरेशन लिमिटेड ने अपेक्षित ₹94.71 लाख के प्रति मात्र ₹1.50 लाख खर्च किए।

(परिच्छेद 5.5.2.1)

VI राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व चरण II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव

चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन का प्रभाव

कर पश्चात लाभ पर प्रभाव

भारतीय लेखांकन मानक के तहत समायोजन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के लाभ में वृद्धि (₹0.54 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की हानियों में वृद्धि (₹67.23 करोड़) पाई गई।

(परिच्छेद 6.5.1)

राजस्व की बुकिंग पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

लेखापरीक्षा में समीक्षा किए गए राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय लेखांकन मानक अपनाने के बाद राजस्व में समायोजन किए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के राजस्व में वृद्धि (₹16.80 करोड़) विशेष एवं असाधारण मदों को राजस्व शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित करने के कारण हुई।. हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के राजस्व में वृद्धि (₹69.76 लाख) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्यों से हुई आय के समायोजन के कारण हुई, जिसे राजस्व में लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सम्बन्ध में राजस्व में हुई हानि (₹149.98 करोड़) अन्य आय के उलटाव (रिवर्सल) के कारण हुई।

(परिच्छेद 6.5.2)

परिसंपत्तियों के कुल मूल्य पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

₹25.20 करोड़ एवं ₹0.72 करोड़ की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट का शुद्ध प्रभाव क्रमशः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड एवं ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड पर पड़ा। हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड में ₹0.54 करोड़ की परिसंपत्ति के कुल मूल्य में वृद्धि का शुद्ध प्रभाव देखा गया।

(परिच्छेद 6.5.3)

नेटवर्थ पर भारतीय लेखांकन मानक अपनाने का प्रभाव

ब्यास वैली पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ने नेटवर्थ में (-)₹0.72 करोड़ की गिरावट दर्ज की। हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड में भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत संचित हानि में कमी के कारण नेटवर्थ में वृद्धि (₹0.54 करोड़) हुई।

(परिच्छेद 6.5.4)